

पटना में दिनांक-19 फरवरी, 2016 शुक्रवार को अपराह्न 11:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

### ऊर्जा विभाग

1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु 1897.50 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इस योजना से संबंधित क्रियान्वयन नियमावली विभाग के द्वारा तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 1. स्वीकृत।

### नगर विकास एवं आवास विभाग

2. शहरी क्षेत्र में हर घर तक पक्की गली-नालियों के लिए "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में। 2. स्वीकृत।

### नगर विकास एवं आवास विभाग

3. शहरी क्षेत्र में हर घर तक पाईप जलापूर्ति के लिए "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में। 3. स्वीकृत।

### सूचना प्रावैधिकी विभाग

4. विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। 4. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. विकसित बिहार के लिए सात निश्चय के अंतर्गत 'शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान' निश्चय को पूरा करने के उद्देश से 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के क्रियान्वयन की स्वीकृति। 5. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, को छोड़कर अन्य श्रेणी के APL परिवारों के घरों में लोहिया स्वच्छता योजना के तहत शौचालय निर्माण हेतु दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशि रु० 4600 को बढ़ाकर रु० 12000 देने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर कर्मियों को परियोजना अवधि तक रखने के उद्देश्य से रु० 1390.3249 करोड़ (तेरह सौ नब्बे करोड़ बत्तीस लाख उन्चास हजार) की योजना की स्वीकृति।
6. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. केन्द्र प्रायोजित 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के तहत 5 वर्षों के लिए स्वीकृत रु० 22164.288 करोड़ की योजना जिसमें केन्द्रांश रु० 16612.994 करोड़ एवं राज्यांश रु० 5551.294 करोड़ है, को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नये वित्त पोषण स्वरूप (Funding Pattern) केन्द्रांश : राज्यांश, 60:40 किये जाने के आलोक में योजना को केन्द्रांश रु० 13314.489 करोड़ एवं राज्यांश रु० 8849.799 करोड़ (कुल 22164.288 करोड़) पर पुनर्रीक्षित करने की योजना की स्वीकृति।
7. स्वीकृत।

### विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

8. सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रु० 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

### विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9. सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रु० 841.096 करोड़ (आठ सौ एकतालीस करोड़ नौ लाख साठ हजार रुपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

10. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में नये मुख्यमंत्री निश्चय बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु कुल अनुमानित रू० 5,28,00,00,000/- (रूपये पाँच अरब अठ्ठाईस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। 10. स्वीकृत।

### शिक्षा विभाग

11. बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

12. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत जिला स्तर पर 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी०एन०एम० स्कूल एवं अनुमंडल स्तर पर 63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए०एन०एम० स्कूल खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रू० 6,38,00,00,000/- (रूपये छः अरब अड़तीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। 12. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

13. "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत राज्य में 5 (पाँच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 (चौबीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रू० 21,20,00,00,000/- (रूपये एककीस अरब बीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रभावित 21,300 टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ 7439.25 करोड़ रू० (सात हजार चार सौ उनचालीस करोड़ पचीस लाख रूपये) लागत राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

### श्रम संसाधन विभाग

15. सात निश्चय के तहत राज्य के अनाच्छादित 54 अनुमण्डलों में वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके से नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन के संबंध में। 15. स्वीकृत।

**श्रम संसाधन विभाग**

16. सात निश्चय के तहत राज्य के अनाच्छादित 22 जिलों में वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके से नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन के संबंध में। 16. स्वीकृत।

**योजना एवं विकास विभाग**

18. "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू करने हेतु इस योजना के तहत मो० 121614.61 लाख रुपये से संभावित व्यय की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

तथा

प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 15500.00 लाख रुपये के संभावित व्यय की स्वीकृति।